न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 196/2020 जिला टोंक

राधाकिशन पुत्र लालाराम जाति गूर्जर निवासी अतालिकपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक(राज0)
—अपीलांट

बनाम्

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 27.06.1994

उपस्थित अभिभाषकः—श्री पी0के0जैन(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

निर्णय   दिनांकः—20.01.2023

संक्षिप्त मं अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अतालिकपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक में भू—आवंटन कमिटी द्वारा अपीलांट राधाकिशन पुत्र लालाराम गुर्जर निवासी अतालिकपुरा को खसरा नम्बर 260/1 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा निजि वन विकास हेतु दिनांक 04.06.1986 को आवंटित की गई थी। आवंटन शर्तों की पालना न करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 13(7) राजस्थान भू—राजस्व निजि वन विकास हेतु अकृषि भूमि का आवंटन नियम 1986 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण संख्या 21/1992 के रूप में दर्ज कर बाद सुनवाई जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.1994 को अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई है—

1. विवादित भूमि पर अपीलांट आवंटन दिनांक से ही अब तक काबिज होकर उपयोग—उपभोग करता चला आ रहा है। उसे बेदखल नहीं किया गया है तथा आवंटन शर्तों की उसके द्वारा पालना की जाती रही है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दोरान उसे नोटिस जारी नही किया गया है। व्यक्तिगत तामील नहीं हुई है और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

3. तहसीलदार द्वारा मौके की जांच नहीं की गई है। विवादित भूमि पर वन विकसित हो रखे है। अपील स्वीकार की जायें और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.1994 निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त अपील तत्समय न्यायालय [illegible] में दिनांक 23.07.2013 को प्रस्तुत करना पायी जाती है। राजस्व ग्रुप—6 अधिसूचना दिनांक 17.[illegible].2019 के अनुसरण में उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो में बताये गये बिन्दुओं को दोहराया। मुख्य तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि खसरा गिरदावरी के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है। जबकि खसरा गिरदावरी में सिर्फ जींस का विवरण होता है। हमने धारा 5 का प्रार्थना पत्र लगाया है। राजकीय अभिभाषक ने अपील को मियाद अवधि बाहर बताया। वकील साहब द्वारा अपीलांट का सूचित नहीं किये जाने बाबत बिन्दु पर उन्होने इसे देरी को क्षमा करने हेतु कोई उपयुक्त आधार नहीं माना है तथा यह भी कहा है कि समय पर वन विकास करते। रिब्युटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया है कि 10 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त किया गया है। वकील की त्रुटि का खामियाजा अपीलांट को नहीं होना चाहिए। जैसा की आरबीजे 2003 पेज 18 पर बताया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। ऐवीडेंस एक्ट की धारा 3 के अनुसार सिद्ध करने का भार आक्षेपकर्ता पर होगा।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बेदखल करने की धमकी देने पर दिनांक 06.06.2013 को नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 22.06.2013 को नकल प्राप्त कर शीघ्र अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण संख्या 21/92 प्रोसिडिंग दिनांक 03.02.1992 से दिनांक 27.06.1994 का अवलोकन किया गया। अपीलांट की ओर से श्री जितेन्द्रं कोठारी एडवोकेट उपस्थित हुए थे। निर्णय दिनांक 27.06.1994 को अपीलांट और उसके वकील उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा जानकारी दिनांक के तुरंत बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 23.07.2013 को अपील तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में प्रस्तुत कर दी गई थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर वर्षों से निजि वन विकसित किया हुआ है। जिसमें कई पेड़ पौधे और झाड़िया लगी हुई है। अप्रार्थी उक्त वन को नष्ट करने और प्रार्थी को बेदखल करने हेतु आमादा है। जिसे रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को अपार क्षति होगी। चूंकि प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 27.06.1994 को निरस्त कर दिया गया है। विवादित भूमि उसे सिर्फ वन विकास के लिए दी गई थी। इस बाबत उसे अन्य कोई अधिकार नहीं दिये गये है। विवादित भूमि बिलानाम भूमि है। जो कि सरकार भूमि है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट वहां मौजूद भी है तो भी उनकी हेसियत अतिक्रमी से ज्यादा नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में विवादित भूमि पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेज यथा धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस आदि प्रस्तुत नहीं किया है जिसे उसका कब्जा सिद्ध होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज किया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.1994 एवं न्यायालय प्रोसिडिंग तथा तामील हेतु प्रेषित नोटिस का अवलोकन किया गया। अपीलांट राधाकिशन पुत्र लालाराम गुर्जर को दिनांक 13.02.1992 को रीडर न्यायालय जिलाधीश टोंक द्वारा नोटिस तारीख पेशी प्रेषित किया गया था। जिसमें सुनवाई हेतु तारीख दिनांक 14.04.1992 तय की गई थी। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर यह अंकित है कि मकान पर मौजूद नहीं [illegible] मकान पर चस्पा किये। अंगूठा निशानी रतन और जगदीश अंकित है तथा रमेश अंकित है। इस नोटिस क अवलोकन से स्पष्ट है कि तामील के दिन अपीलांट घर पर मोजूद न था तथा उसके घर के बाहर नोटिस को चस्पांदगी की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:56 IST
Reason: SelfAttested

एलआरएक्ट की धारा 60 में नोटिस की तामील के बारे में बताया गया है। जिसमें यह अंकित किया हुआ है कि नोटिस स्वयं पक्षकार को दिया जाकर या रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से या उसके अधिकृत ऐजेन्ट पर तामील की जा सकती है और अन्तिम बार जहां वह निवास करना पाया जाता है, उस गांव में मकान पर नोटिस चस्पा कर नोटिस की तामील करवायी जा सकती है। चूंकि अपीलांट की ओर से तत्समय दिनांक 26.05.1992 को एडवोकेट जितेन्द्र कोठारी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कहना कि उसे नोटिस प्रेषित नही किया गया था अपीलांट को तामील नहीं हुआ था बिल्कुल गलत है। चूंकि उसकी ओर से एडवोकेट उपस्थित हो चुके थे। मकान पर नोटिस चस्पांदगी एलआरएक्ट की धारा 60 के अनुरूप है।

अपीलांट अभिभाषक का यह कहना है कि मात्र खसरा गिरदावरी के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिया है उचित नहीं है। अपीलांट को निजि वन विकास हेतु भूमि आवंटित की गई थी और खसरा गिरदावरी संवत 2047 में विवादित खसरा नम्बर मे कोई निजि वन विकसित किया जाना अवलोकन नहीं होता है। उक्त खसरा गिरदावरी में भूमि बंजड़ बतायी गई है तथा अपने निर्णय में जिला कलक्टर टोंक द्वारा यह भी लिखा है कि अपीलांट द्वारा नियम 13(3), 13(2)ग का उल्लंघन किया गया है। नियम 13(2) के अनुसार आवंटी वृक्ष ,झाड़िया और घासं जो कि वन विभाग के अधिकारी द्वारा अनुशंसित की गई हो को लगाने के कार्य को आरम्भ करेगा। नियम 13(3) के अनुसार प्रथम वर्ष आवंटित भूमि के 1/3 क्षेत्रफल में पेड़,झाड़ी व घास लगायेगा। अगले वर्ष शेष 1/3 क्षेत्रफल में तथा अंतिम वर्ष में शेष 1/3 क्षेत्रफल में पेड़, झाड़ी व घास लगायेगा। इस प्रकार आवंटन के तीन वर्ष के अंदर आवंटी को आवंटित सम्पूर्ण भूमि में उसे पेड़, झाड़ी एवं घास लगाया जाना आवश्यक था जो उनके द्वारा नही किया गया। खसरा गिरदावरी संवत 2047 से यह अवलोकन होता है कि अपीलांट द्वारा कोई भी पेड़,झाड़ी, घास आदि नही लगाए है और जिला कलक्टर टोंक द्वारा सही रूप से नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट का भूमि आवंटन निरस्त किया है। जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

कियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 31/92 बउनवानी सरकार बनाम राधाकिशन प्रार्थना पत्र नियम 13(7) राजस्थान भू–राजस्व निजि वन विकास हेतु अकृषि भूमि के आवंटन नियम 1986 निर्णय दिनांक 27.06.1994 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:56 IST
Reason: SelfAttested